न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर

बइजलास परसाराम टाक आर.ए.एस.

राजस्व प्रर्थाना पत्र संख्या 90 / 2012

प्रार्थी

1.कुभाराम पुत्र श्री पुरखाराम

2. सुरजाराम पुत्र पुरखाराम

3.भागाराम पुत्र मूलिया (मूलाराम)

4. मांगीलाल पुत्र लादिया (लादूराम)जातियान मेघवाल

निवासीगण गाम सथेरण तह. व जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मांगीलाल पुत्र जगुडा
2. हिम्मताराम पुत्र जगुडा
3. मानाराम पुत्र जगुडा
4. गंगाराम पुत्र जगुडा
5. कुंभाराम पुत्र जगुडा
6. रामूराम पुत्र जगुडा
7. दमली पत्नि लूणाराम
8. धूडाराम पुत्र देवाराम
9. गींगाराम पुत्र देवाराम

जातियान मेघवाल निवासीगण सथेरण

10.देराजराम पुत्र पुरखाराम

11.धापी पत्नि स्व. पुरखाराम

12.हरजीराम पुत्र देवाराम

13.मगाराम पुत्र स्व. अनाराम

14. रामूराम पुत्र स्व0 अनाराम

15. सुगनाराम पुत्र स्व. नवाराम

16. उदाराम पुत्र स्व. नवलाराम

17. चेतनराम पुत्र स्व. नवलाराम

18. मोहनराम पुत्र स्व. नवलाराम

19.जेठाराम पुत्र लादिया

20. मगाराम पुत्र लादिया

21. मानाराम पुत्र लादिया

22. नारायण पुत्र मूलिया

23. उमाराम पुत्र मूलिया

24. भैरूराम पुत्र लाबूराम

25. खेमाराम पुत्र स्व. नेनूराम जातियान मेघवाल निवासी सथेरण तह.व जिला नागौर

26. तहसीलदार नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
(संशोधित) अधिनियम –2010

आदेश

दिनांकः– 27/2/18

यह है कि प्रार्थीगण व दीगर अप्रार्थीगण संख्या 10 से 25 के सहकब्जा काश्त सहखातेदारी के खेताय खसरा नं. 1134 रकबा 20.09 बीघा, खसरा नं. 1135 रकबा 05 बिस्वा ढाणी खसरा नं. 1136 रकबा 14 बिस्वा ढाणी, खसरा नं. 1137 रकबा 35.10 बीघा, खसरा नं. 1138 रकबा 13.11 बीघा वाके सरहद मौजा सुरजाना (सथेरण) तह. नागौर स्थित रहते चले आये है जिसकी जमाबंदी मय नक्शा आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त खेताय व ढाणीयो मे जाने के लिए सबसे नजदीकी एक मात्र रास्ता ग्राम सुरजाना की आबादी के चिपते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 1141 रकबा 32.17 बीघा मोजा सुरजाना की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे है जो संलग्न नक्शा मार्क ए से बी दर्शित किया गया है जो आगे प्रार्थीगण की खातेदारी के उपरोक्त खेताय व ढाणीयो तक पहुँचता है इसके अलावा कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतो व ढाणीयो मे जाने का नही है। नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न है जो उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो व उनमे बनी ढाणीयो मे आने जाने का नही है।

यह है कि प्रार्थीगण अपने उक्त खेताय व ढाणीयो मे पहुँचने के लिए उक्त रास्ता नक्शे मे दर्शित मार्क ए खसरा नं. 1141 रकबा 32.17 बीघा मोजा सुरजाना की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे भूमि का रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग करते है। जिस रास्ते की चौडाई उक्त प्रावधान के अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन व वाहन मवेशी आदि लाने ले जाने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुऐ आवश्यकतानुसार चिन्हित करते हुए रास्ते की घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किया जाना उचित व न्यास संगत है। जिसकी अनुमति के लिय यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि की प्रार्थीगण को अपने खेतो मे जाने का रास्ता खसरा नं. 234 से होकर जी एल आर जो कि खसरा नं. 308/233 मे बना हुआ है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 10 से 25 की खातेदारी का खेत है जिसमे जाता ह जहां से आगे के खेतो पर जाने का रास्ता रहता आया है तथा प्रार्थीगण के खेतो मे व ढाणियो मे आने जाने का रास्ता मूण्डासर की ओर से रहता आया है जो रास्ता पीढियो से चलता आ रहा है जो आज दिन भी खुला है व चल रहा है। जिसे होकर ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 10 से 25 आवागमन करते आ रहे है। जिस तथ्य को प्रार्थीगण ने जानबूझकर छिपाया है। उक्त तथ्य तहसीलदार जी की रिपोर्ट से भी साबित है। साथ ही प्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नं. 1137 के चिपते ही स्थित 1134 व 1150 व 1151 का नक्शा जानबुझकर पेश नही किया जबकि खसरा नं. 1150 के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता है तथा खसरा नं.1150 व 1151 के मध्य माठ के पास 1134 से होकर कटाणी रास्ता तक जाने का व सुलभ व निकटतम रास्ता स्थित है जिसकी दूरी मात्र 666 फीट है जबकि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1141 मे से चाहे गये रास्ते की दूरी उक्त से दुगुनी है। ऐसी स्थिति मे 251 के राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

रास्ते के रूप मे घोषित किया जा सकता है अथवा दिलाया जा सकता है। जो खसरा नम्बर 1150 व 1151 के बीच की माठ के पास उपलब्ध है। जहां से रास्ता दिलवाया जा सकता है। उक्त सभी तथ्य छिपाकर बदनियति से प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जवाब के साथ वास्तविक नक्शा पेश किया जा रहा है जो उक्त जबाब का अभिन्न अंग है।

बहस वकुलाय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रास्ते पेटे मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक श्रीबालाजी ने द्वारा तहसीलदार नागौर के भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक श्रीबालाजी ने अपनी रास्ते की मौका रिपोर्ट मे यह अंकित किया की मौजा सुरजाना के खसरा नं. 1137, 1138 एवं 1141 मे प्रार्थीगणो ने रास्तो की मांग की है। मौके पर खसरा नं. 1141 मे रास्ता नही चल रहा है। वर्तगान मे रास्ता मुण्डासर की ओर से होकर उँटवालिया से सथेरण रास्ते से जुडता है एवं यह निकटतम भी है। मुण्डासर के खसरा नं. 308/233 एवं खसरा नं 234 मे से वर्तमान मे आवागमन हो रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा नं. 1141 मे 5 खेजडी के पेड एवं धर्माराम पुत्र धूडाराम द्वारा पक्के मकान की नींव भर रखी है। एवं प्रस्तावित रास्ते पर धनाराम द्वारा एक टेणो का छोटा मकान भी बना रखा है। तथा वर्तमान मे निवास भी कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहे गये खसरा नं. 1141 से रहवासी मकान बना हुआ है। जिसमे धनाराम पुत्र धूडाराम निवास करता आ रहा है। एवं वर्तमान मे रास्ता मूण्डासर की ओर से उँटवालिया से सथेरण रास्ते से जुडता है। जो निकटतम भी है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खसरा नं. 1141 मे चाहे गये रास्ते की दूरी भी अधिक है। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को मात्र परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तहसीलदार नागौर की रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की ताईद नही होती है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा नं. 1141 मे चाहे गये रास्ते के अलावा भी अन्य रास्ता नजदीकी है जो वर्तमान मे मूण्डासर की ओर से होकर उँटवालिया से सथेरण रास्ते से जुडता है। एवं खसरा नं. 308/233 एवं 234 ग्राम मूण्डासर मे से वर्तमान मे आवागमन हो रहा है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्तकारी अधिनियम 2010 की परिधि मे नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)नागौर

आदेश आज दिनांक 27/2/18 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)नागौर